## संघ लोक सेवा आयोग

## भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022

## उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व उम्मीदवारों को इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व, उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित संगत मूल दस्तावेजों को भी 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करना चाहिए और उसे अधिकतम 1 एमबी की अलग अलग पीडीएफ फाइल में परिवर्तित करना चाहिए। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित नहीं होना चाहिए और यह विस्तृत आवेदन-प्रपत्र के ऑनलाइन जमा करते समय ही अपलोड की जानी चाहिए।

- (i) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (ii) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (iv) परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में उल्लिखित अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबंध न होने के उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति।
- (v) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (vi) आयु में रियायत, जहां कहीं लागू हो, के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (vii) बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (viii) संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति अगर पहले से सरकारी सेवा में हैं।
- (ix) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र हेतु ईडब्ल्यूएस अनुबंध के रूप में दिया गया विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्रोफोर्मा ।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सहित, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- 2. उम्मीदवार द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से किया जाएगा। यदि कोई गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
- 3. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से परिशिष्ट-! में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। ऐसा अधिकारी, संबद्ध राज्य सरकार से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पद नामित किया हो, यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।
- 3.1 कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ का दावा करता है तो उसे अपने दावे के समर्थन में परिशिष्ट-V में दिए गए फार्म में वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2021--22 की आय के आधार पर आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र (पात्रता का प्रमाणपत्र) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।
- नोट I: उम्मीदवार यह नोट करें कि उनके अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस./बेंच मार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों/ पूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र अधिकाधिक, भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात 22.02.2022) तक जारी किए होने चाहिए, जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 21 में निर्दिष्ट किया गया है।
- नोट 2: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों

## में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे स्वीकार नही किया जाएगा।

- नोट 3: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत:, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलत: संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।
- नोट 4: आयोग, उम्मीदवार द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022 के लिए आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमित नहीं देगा, सिवाय भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा नियम, 2022 के नियम 20 में उल्लिखित परिस्थितियों में।
- 4. उम्मीदवार वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> के माध्यम से संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सहित विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरें और उसे ऑनलाइन सब्मिट करें।
- 5. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र की (जिसमें जन्म की तारीख बताई गई है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ भेजनी चाहिए। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा ऐसे ही अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 6. उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिनांक **06 अप्रैल, 2022** के नोटिस के पैरा 3(III) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यह प्रमाण-पत्र उस विशिष्ट योग्यता को प्रदान करने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की स्कैन प्रति ही अपलोड करनी चाहिए।
- टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।
- 7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सम्मिलित हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सही रूप से आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपाठ्य या भ्रामक होने की स्थिति में, इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

- 8(i) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक पुन: स्थापना, रक्षा मंत्रालय से परिशिष्ट-II में दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाणपत्र लेकर इसकी स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुआ।
- (ii) आयु में छूट का दावा करने वाले ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति संबंद्ध प्राधिकारियों से लेकर <u>परिशिष्ट-III</u> में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करें।
- (iii) बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी का होने का दावा करने वाले उम्मीदवार को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022 की नियमावली के नियम 19 में उल्लिखित एक या उससे अधिक शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं को पूरा करना अपेक्षित होगा।

उसे परिशिष्ट–V/परिशिष्ट–VI/परिशिष्ट–VII/अन्य में दिये गए फार्मैंट में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी चाहिए।

टिप्पणी : आयु में छूट के पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, बेंचमार्क श्रेणी के किसी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अर्हक तभी माना जाएगा जब (सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के उपरांत) यह पाया जाता है कि वह भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानक संबंधी शर्तों को पूरा करता है।

9. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णत: अनंतिम है तथा उनकी निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी : लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए लघु-सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होंगा ।

साक्षात्कार के समय उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों को, उनकी स्व-सत्यापित प्रतियों के एक सेट सहित प्रस्तुत करना होगा।

- 10. जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र सभी अनुलग्नकों रिहत या कुछ अनुलग्नकों सिहत प्राप्त होंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-प्रपत्र ऑनलाइन द्वारा ठीक से भरा गया है।
- 11. इस आवेदन के संबंध में आयोग से किए गए अपने समस्त पत्र-व्यवहार में उम्मीदवार परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, पंजीकृत आई.डी. (11 अंकीय) तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।
- 12. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको इस वचनबंध (अण्डरटेकिंग) (जैसा कि विस्तृत आवेदन-पत्र की घोषणा में है) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता

है/ उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है **(कृपया भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022 की** नियमावली का नियम 9 देखें)।

## उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाने वाले वचनबंध का फॉर्म

	<u> </u>
(क)	भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
	उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-
	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* सुपुत्र/सुपुत्री* श्रीसुपुत्र/सुपुत्री* श्री
जे	ो गांव/कस्बा* जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के/की* निवासी हैं -
	अनुसूचित जाति/जनजाति* के/की* है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप
में मान्य	ता दी गई है:-
<u>संविधान</u>	<u>(अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @</u>

```
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 @
[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां की सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब
पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971,
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986,
अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @
संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित
जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित@
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसचित जनजातियां आदेश, 1962 @
संविधान (पांडिचेरी) अनुसचित जातियां आदेश, 1964 @
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसचित जनजातियां आदेश, 1968 @
संविधान (नागालैण्ड) अनुसचित जनजातियां आदेश, 1970 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @
संविधान (अनुस्चित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं।
       यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ------ ग्राम/कस्बा<sup>*</sup> ------ ग्राम/कस्बा<sup>*</sup> ------
जिला/मंडल* ------ जो ------ जो ति/ जनजाति* से
संबद्ध हैं जिसे ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र⁺ में अनुसूचित जाति/ जनजाति⁺ के रूप में मान्यता प्राप्त है
के पिता/माता* श्री/श्रीमती* ------ को ------ को ------- को दिनांक----- को
जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी* ------ और/या* उनका परिवार आम तौर पर/से ग्राम/कस्बा* ------
जिला/मंडल* ------ में रहते/रहती हैं ।
                                                                                हस्ताक्षर -----
                                                                          **पदनाम -----
                                                                                 (कार्यालय की मोहर)
                                                                       राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*-----
तारीख -----
```

\* जो शब्द लागु न हों उसे कृपया काट दें।

@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें ।

% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें।

नोट:- यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

- \*\* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची:
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/##सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

## (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)।

- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।
- (iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।
- (v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

## (ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म ।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी\* ------- सुपुत्र/सुपुत्री\* श्री/श्रीमती -------- सुपुत्र/सुपुत्री\* श्री/श्रीमती ------- के गांव/कस्बा\*------ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* ------के/की\* निवासी हैं ------ समुदाय के हैं जिसे निम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यता प्राप्त है :-

- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं012011/68/93-बी.सी.सी. (सी.)।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 का संकल्प सं012011/9/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं012011/7/95-बी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं012011/96/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं012011/44/96-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/99/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/13/97-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं012011/68/98-बी.सी. ।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं012011/88/98-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं012011/36/99-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं012011/44/99-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं012011/9/2000-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं012011/1/2001-बी.सी.सी.।

- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं012011/4/2002-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं012011/9/2004-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं012011/14/2004-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं012015/15/2008-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं012015/13/2010-बी.सी.-॥।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं012015/05/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/07/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं012011/01/2015-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं012015/05/2011-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-III
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं012011/14/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं012011/15/2016-बी.सी.-II
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं020012/01/2017-बी.सी.-II।

@भार	रत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजि	क न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 28 जुलाई, 2017 का संकल्प सं.12011/07/2017-बी.सीII ।
	- मती/कुमारी* और/या उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल*
	् के गांव/कस्बा* के गांव/कस्बा* वें
	े ा किया जाता है कि वह* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.
	3-स्था0 (एस.सी.टी.), दिनांक 9.3.2004 के का.ज्ञा. सं036033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और दिनांक
	ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) और ज्ञा. सं. 36033/1/2013-स्था0 (आरक्षण) दिनांक 27.05.2013 की
	ा 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों *(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है ।
<i>3</i> ((	हस्ताक्षर
	**पदनाम
	(कार्यालय की मोहर)
	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
स्थान तारीख	
	 हों उसे कृपया काट दें ।
• `	
• •	कार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र 
क साथ प्रस्तुताक	ए जाने वाले वचन-बंध का प्रारूप । <u>वचनबंध</u>
मैं	<u>-                                    </u>
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*यह घोषणा करता हूं कि मैं
समुदाय से संबद्ध (एस.सी.टी.) में स	हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा. सं036012/22/93-स्था0 तम्मिलित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता तो घोषित करता/करती हूं कि मैंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के ऊपर संदर्भित का.ज्ञा. और
दिनांक 13.09.2	017 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था0 (आरक्षण) में उल्लिखित अनुदेशों का  भली प्रकार अवलोकन कर लिया है
	ह घोषणा करने के लिए कारण हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2019-20 और 2018-2019 के लिए आय के आधार सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) श्रेणी से संबंधित नहीं हूं।
	हस्ताक्षर
	उम्मीदवार का नाम
	अनुक्रमांक
* जो शब्द लागू न	हों उसे कृपया काट दें ।
@ जो लागू न हों	· उसे हटा दें ।
नोट:- यहां "आमत	गौर से रहते/रहती हैं"  का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
	र्ण (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी
करने के लए सक्षम	
<b>टिप्पणी 1 :</b> अन्य उन	पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई की जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	चेयों में प्रकाशित किया गया है । जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उस अस्वीकार
	र दिया जाएगा। ोदवार अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया
	एगा जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं । अत: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन
कर	र चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिसमें ोता) मूलत: सम्बद्ध है से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो ।
•	रतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा नियम, 2022 के नियम 20 में उल्लिखित परिस्थितियों को
	ड़कर आयोग द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र में पहले से ही इंगित की गई सामुदायिक स्थिति में किसी भी लाव की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

<u>परिशिष्ट-II</u>

प्रमाणित किया जाता है कि सं	रैंक	नाम	यूनिट
रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए, वि	दिशी शत्र-देश के साथ संघर	र् में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में प	हौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग
हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हु	•		
g ,	,		हस्ताक्षर
			पदनाम
			दिनांक
*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें ।			
			<u>परिशिष्ट–III</u>
(क) निर्मुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमा	ाण-पत्र का फार्म		
प्रमाणित किया जाता है कि सं		नाम	जिनकी
जन्मतिथि है से तक ध			
(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य	•		•,
अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त हुए हैं।	। राया यम ह आर तुनुष व	गिष पेग रामाति पर गिण्	उपत हुए हं गाम मन्यामार मा
(ख) वे सैन्य सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांग	च्या अश्वया अश्वयाच्या के कर	<del></del>	ਕੀ ਜ਼ਿਰਿਤ ਕਰ ਹੈ।
	ता अथवा अक्षमता क कार	, ч	· का । <b>गमु</b> क्त हुए हा
स्थान: तारीख:			
ताराख		सक्षम	प्राधिकारी का नाम और पदनाम
		(141.1	मुहर
(ख)	सेवारत कार्मिकों के लिए प्र	माण-पत्र का फार्म	300
` ,	लागू होगा जिन्हें एक वर्ष		ਹਜ਼ਾ ਵੈ\
· ·	***	•	•
मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पा	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
नाम दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिः			्रादनाक
स्थान	ट जवाब पूरा करन पाल ह	·	
दिनांक			
			कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
			कार्यालय की मुहर
उक्त "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को नि	ोम्नलिखित वचनबंध देना ह	होगा :-	
उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध:			
मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र	से संबंधित भर्ती/परीक्षा वे	जधार पर चयन हो ज	ता है तो यह नियुक्ति, मेरे द्वारा
नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक वि	लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने	। के अधीन होगी कि मैं स	शस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से
निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह वि	ह मैं समय-समय पर यथास <u>ं</u>	शोधित भूतपूर्व सैनिक (व	केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों
में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अर्	नुसार भूतपूर्व सैनिकों को <u>ग</u> ्र	ाह्य लाभों का हकदार हूं।	
			उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान			
दिनांक			
(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आ			
होगा जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति			
यह प्रमाणित किया जाता है कि सं			जिनकी
जन्मतिथि से थ	ल सेना/नौ सेना/ वायु सेना	में सेवारत हैं ।	
2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की	पांच वर्ष की सेवा	को पूरी कर ली है औ	र अब वे तक बढ़ाए गए
कार्यकाल पर हैं ।			
<ol> <li>उन्हें सिविल रोज़गार में आवेदन-पत्र दें</li> </ol>	ने के लिए कोई आपत्ति न	हीं है तथा उन्हें सिविल <sup>ः</sup>	रोज़गार मिलने पर तीन माह के
नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा ।			
		सक्षम	प्राधिकारी का नाम और पदनाम
			कार्यालय की मोहर
स्थान			
दिनांक	<del>6</del>		
प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्रा (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन व	*	2	
	கபாரசு யாய வாரகார்கா	/यल्पकालानं सता कमा <u>ः</u>	ua utu आध्यक्षारमा मारहे\ के

मामले में :-

थल सेना --मिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौ सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे0सी0ओ0/ओ0आर0 तथा नौ सेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :-

थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा।

नौ सेना --- बी.ए.बी.एस., मुम्बई।

वायु सेना ---- वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली।

परिशिष्ट-IV

## <u>प्रपत्र – IV</u>

अशक्त व्य	यक्तियों द्वारा अशक्तता :	<u> गमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र</u>
1.	नाम	
		नाम) (मध्य नाम)
2.		माता का नाम
3.		
4.	्रावेदन के समय आयु :	नाह) (वर्ष) नार्ही
5. 6.	ालग : पुरुष/माहला/ट्रा पता :	सजेंडर
0.	पता . (क) स्थायी पता:	
	(ख) वर्तमान पता (ः	प्रर्थात पत्र-व्यवहार के लिए)
		 निवास करने की अवधि
6.	• •	तागू हो कृपया उसे चिन्हित करें)
	(i)	स्नातकोत्तर
	(ii)	स्नातक
	(iii)	डिप्लोमा
	(iv)	हायर सेकेंडरी
	(v)	हाई स्कूल
	(vi)	मिडिल
	(vii)	प्राइमरी
	(viii)	अशिक्षित
8.		
9.		(ii)
10.	अशक्तता की प्रकृति :	
11.	वह अवधि जब से अशब	न्त हैं : जन्म से/वर्ष से
12.	(i) क्या आपने कभी पूर्व	में अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नही
	(ii) यदि हां, तो विवरण	दें :
	(क) किस प्राधिक	ारी और जिले में आवेदन किया है
	(ख) आवेदन का प	ारिणाम

13. क्या आपको पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।

घोषणा: मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरे आवेदन पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

(अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा मानसिक अशक्तता( मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में T)

				;	उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा
<u>~</u>					बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)
दिनांक : स्थान :					
संलग्नक <u>संलग्नक</u>	:				
1.	<del></del> '	का प्रमाण (जो ला	गू हो कृपया उसे चिन्हित करें)		
	(ক)	राशन कार्ड,			
	(ख)	मतदाता पहचा	न पत्र,		
	(ग)	ड्राइविंग लाइसें	स,		
	(ঘ)	बैंक पासबुक,			
	(ड.)	पैन कार्ड,			
	(च)	पासपोर्ट,			
	(ন্ত)	टेलीफोन, विद्यु	त, जल और अन्य उपभोज्य बि	ल जिसमें आवेदक का पता ी	लेखा हो,
	(ज)	पंचायत, नगर	निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, किसी व	राजपत्रित अधिकारी अथवा	संबंधित पटवारी अथवा किसी सरकारी
		स्कूल के हैडमास	टर द्वारा जारी निवास प्रमाण	पत्र,	
	(झ)	अशक्त, निराशि	व्रेत, मानसिक रोग, आदि से र	प्रस्त व्यक्तियों के लिए निव	।स संस्थान के मामले में ऐसे संस्थान के
	. ,	प्रमुख से निवास	प्रमाण पत्र।	•	·
2.	पासपो	र्ट आकार के दो नवी	नितम फोटोग्राफ		
			(कवल कायालय	उपयोग के लिए)	
दिनांक :				जारी करने वाले प्राधिकारी	के हस्ताक्षर
स्थान :				मोहर 	
			प्रपत्र	<u>r - V</u>	
				प्रमाण पत्र	
	(		के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघा		
		(प्रम	गण पत्र जारी करने वाले चिवि	<sub>रे</sub> त्सा प्राधिकारी का नाम औ	र पता)
					अशक्त व्यक्ति का
					पासपोर्ट आकार का
					सत्यापित वर्तमान
					फोटो (केवल चेहरा
				<b>.</b>	दर्शाया हो)
प्रमा	ण पत्र सं		+ <del>1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +</del>	दिनांक :	<del>nate from the off</del>
	янич				पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
					पंजीकरण सं
स्थाया नि					जिला राज्य - कें
			फ ऊपर लगाया गया है, की छ	यानपूवक जाच कर ला हे आ	र म सतुष्ट हू ाक :
(ক)	वहान	म्र रोग से ग्रस्त हैं:			

- - चलने में असमर्थ
  - बौनापन(ड्वार्फिज्म)
  - दृष्टिहीन

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में ......निदान है।

अ			गारीरिक अक्षमता/दृष्टि रूप निम्नलिखित दस्त		<del>≟</del> .	
स्तावेज र्व			रूप निम्नालाखत दस्त तारीख			का विवरण
<u> </u>	7 7 17 (1	411 X 17 17	William .	<u> </u>	TO THE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	10 144 \ 1
			·			
_		_		. 6 . 6		` .
34	प्त व्यक्ति के			(अधिसूचित	चिकित्सा प्राधिकारी	के प्राधिकृत हस्ताक्षरक
हर	न्ताक्षर/अंगूठे का					हस्ताक्षर और म
नि	शान जिसके नाम से					
	शक्तता प्रमाण पत्र					
जा	ारी किया गया है।					
			<u> </u>	<del></del>		
			अशक्तता प्रम (एकाधिक अशक्तता			
		(प्रमाण पत्र जा	्रिक्सावक जरावतता री करने वाले चिकित्स	,	ाम और पता)	
		(			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अशक्त व्यक्ति का
						पासपोर्ट आकार का
						सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा
						दर्शाया हो)
						,
ामाण पत्र	सं		दिनां	क ·		
		है कि मैंने श्री/श			पत्र/पर्त्न	ो/पुत्री श्री
		~	· ·		•	·
 ायी निवा						राज्य
			्र ——— लगाया गया है, की ध्य			
) ਕੁਫ਼ ਹਾ			~	• •	•	्र शा-निर्देशों के अनुसार
		-				) आकलित किया गया है
	लिका में संगत अशव		दर्शाया गया है:		,	
क्रम सं.	अशक्तता		शरीर का प्रभावित अं	ग निदान	स्थायी शारीरिव	
	2.5				मानसिक अक्षम	ता (% में)
	चलने में असमर्थ		@			
1.						
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी					
	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कुष्ठ उपचारित (ले					
2.	<del> </del>	ोपरसी क्योर्ड)				
2. 3.	कुष्ठ उपचारित (ले	ोपरसी क्योर्ड) म)				
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	कुष्ठ उपचारित (ले बौनापन (ड्वार्फिज	ोपरसी क्योर्ड) म)				
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	कुष्ठ उपचारित (ले बौनापन (ड्वार्फिज प्रमस्तिष्कीय पक्षा	पेपरसी क्योर्ड) म) घात (सेरिब्रल				
2. 3. 4. 5.	कुष्ठ उपचारित (ले बौनापन (ड्वार्फिज प्रमस्तिष्कीय पक्षा पॉल्सी)	पेपरसी क्योर्ड) म) घात (सेरिब्रल	#			
<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	कुष्ठ उपचारित (ले बौनापन (ड्वार्फिज प्रमस्तिष्कीय पक्षा पॉल्सी) तेजाबी हमला पीर्	पेपरसी क्योर्ड) म) घात (सेरिब्रल	#			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>7.</li> </ol>	कुष्ठ उपचारित (ले बौनापन (ड्वार्फिज प्रमस्तिष्कीय पक्षा पॉल्सी) तेजाबी हमला पीर् कम दृष्टि	पेपरसी क्योर्ड) म) घात (सेरिब्रल				

11.

12.

वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज

बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल

डिजेबिलिटी)

	डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट			
	अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग			
	डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक			
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			
ख) उपरो	क्ति के मद्देनजर, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनु	,सार (ी	देशा-निर्देशों की संख्या और	इन्हें जारी किए जाने र्व
	विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), उनका समग्र			
	्र : प्रतिशत		~	

(ख	) उपर	क्ति व	के मद्देनज	तर, निध	ीरित	दिशा-ो	नदेशा व	के अनुस	गर (…			.दिशा-	-निदेशी	की	सख्या	और	इन्ह	जारी	किए	जान	की
तारी	ख क	विशे	ष रूप से	ा उल्लेख	किया	ा जाए)	, उनका	ा समग्र	शारीरि	क दौर्ब	ल्य निम	मानुस	ार है:-								

आंकड़ों में :	_ प्रतिशत
शब्दों में :	प्रतिशत

- 2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।
- 3. अशक्तता का पुन: आकलन :

@

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षों ......माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र ...... पत्र तक के लिए वैध रहेगा। (दिनांक) (माह) (वर्ष)

उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एक आंख/दोनों आंख #

£ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-4.

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर 5.

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

### प्रपत्र –VII

अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

				स्थायी निवासी मकान
<del>т</del>	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	डाकघर	_ जिला	राज्य और जिनक
				अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थार्य
				दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए
ज्ञान का त <b>क्रम सं.</b>		र) आकालत किया गया ह <b>शरीर का प्रभावित अंग</b>		में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:- स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/
N (1.	- MATAGE	रारार का प्रसामित अन	1114111	मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल			
	पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीडि़त			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	श्रवण बाधित	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज			
	डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता			
	(स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
13.	मानसिक व्याधि			
14.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक			
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
16.	पार्किंसन्स रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			
जो अशक	तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)			
2.	इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/ी	स्थिति में सुधार होने/सुध	ार न होने की संभा	वना है।
3.	अशक्तता का पुन: आकलन :			
	(i) आवश्यक नहीं है,			
	अथवा	·	- <del> </del>	<del></del>
	(ii) की अनुशंसा की जाती है/ वर्षों तक के लिए वैध रहेगा ।	माह क उपरात आ	र इसालए यह प्रम	ाण पत्र (दिनांक) (माह) (वर्ष)
@	तक कालए वध रहगा। उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ	ा∕पैर		((प्याक) (माह) (पप)
#	उदाहरण एक आंख/दोनों आंख			
# €	उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान	-		

आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-दस्तावेज की प्रकृति जारी करने की तारीख प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) उस व्यक्ति के (नाम और मोहर) हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम प्रतिहस्ताक्षर से प्रमाण पत्र {यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो जारी किया गया है। सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)} टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा। प्रपत्र –VIII [अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सूचना] दिनांक : सेवा में. (अशक्तता प्रमाण पत्र के आवेदक का नाम और पता) विषय: अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति । महोदय/महोदया, कृपया दिनांक \_\_\_\_\_ के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो निम्नलिखित अशक्तता हेतु अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया: 2. उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में दिनांक \_\_\_\_\_ को अधोहस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका चिकित्सा परीक्षण किया गया और मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारणों से आपको अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं हो पाया है: (i)

3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से असंतुष्ट हैं, तो इस निर्णय की समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन \_\_\_

(ii) (iii)

को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

भवदीय.

## परिशिष्ट-V

## ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

----- सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र	 f	देनांक
	2022-23 वर्ष के लिए मान्य	
	गणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी	
स्थ	· पता ग्राम/स्ट्रीट डाकघर जिला जिला	राज्य / केन्द्र शासित
प्रदेश	पिन कोड जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, का फोटोग्राफ नीचे अ	नुप्रमाणित किया गया है, वित्तिय वर्ष
2021-22	। से उनका/ उनकी परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये 08 लाख (रूपये आठ लाख केवल) से	कम है, उनका/उनकी परिवार के
पास नीचे	गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नहीं है।	
l.	एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि	
II.	000 वर्ग फीट और इससे अधिक की आवासीय प्लॉट	
III.	धिसूचित निगमों में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट	
IV.	धिसूचित निगमों के क्षेत्र को छोड़कर 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय प्लॉट	
2.	ा/श्रीमती/कुमारी जाति के है, जिसे अनुसूचिः	त जाति, अनुसूचित जनजाति एवं
	न्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।	•
आ ব	क का हाल का	कार्यालय मोहर सहित हस्ताक्षर
I	र्ट आकार का	नाम
	गणित	पदनाम
फो	गफ	
I .		

- \* नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल है।
- \*\* नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है ।
- \*\*\* नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है।

#### UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

# Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2022 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to separate pdf files up to 1 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 7 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 06th April, 2022.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Economically Weaker Section (EWS) (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix-I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age relaxation, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being persons with benchmark disability (wherever applicable).
- (VIII) Scanned copy of the Undertaking duly signed by the candidate if already in Government Service.
- (IX) A duly filled in and signed proforma given as EWS Annexure to Detailed Application Form by the candidate seeking reservation as EWS candidate.

Duly signed copy of the online Detailed Application Form along with originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's Website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 2. The information earlier given by candidates in the Application Form for the Examination through online will be cross-checked with the information given by them in this Detailed Application Form online. If there will be any serious discrepancies, their candidature is liable to be rejected / cancelled.
- 3. A candidate who claims to belong to one of the Schedule Castes, the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.
- 3.1 A candidate who claims reservation benefit under Economically Weaker Section (EWS) should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the Income and Asset Certificate based on the income of Financial Year (FY) 2021-22 (Certificate of Eligibility) in the form given in Appendix-V.

**Note 1:** Candidates should note that their SC/ST/OBC/PwBD/EWS/Ex-servicemen certificate should have been issued latest by the closing date of application for Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2022 [i.e. 26.04.2022] as prescribed in the Rule 21 of the rules for the examination.

Note 2: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the

## same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

- **Note 3 :** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.
- **Note 4:** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 20 of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination Rules, 2022.
- 4. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the Web-site <a href="www.upsc.gov.in">www.upsc.gov.in</a>.
- 5. A candidate must upload along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may upload a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must upload in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/ Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

# Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

- 6. A candidate must upload a scanned copy of a certificate showing his educational qualification prescribed in para 3(III) of the Notice dated 06<sup>th</sup> April, 2022 for the Examinations available on the website of Commission. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.
- **Note-1:** A candidate who holds a completed secondary school certificate need to upload a scanned copy of the page containing entries relating to age only.
- **Note-2:** Candidates should note that only the date of birth as recorded in the matriculation/higher secondary examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.
- 7. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 06<sup>th</sup> April, 2022. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly.

In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

- 8(i) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-II**, from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he/she was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.
- (ii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate as applicable to them, in the form given in **Appendix-III**, from the authorities concerned.
- (iii) A candidate claiming to belong to Persons with Benchmark Disability category shall be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in

Rule 19 of the Rules for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2022. He/She must upload a scanned copy of the Certificate of Disability in Form VI/Form VI/others issued by notified Medical Authority of the Central/State Government.

NOTE: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION, A CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITY CATEGORY WILL BE CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY, AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE INDIAN ECONOMIC SERVICE/INDIAN STATISTICAL SERVICE TO CANDIDATES BELONGING TO THE PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITY CATEGORY BY THE GOVERNMENT.

9. The candidates should note that their candidature for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2022 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

**Note**: Candidates shortlisted for interview on the basis of written result will be required to upload scanned copies of documents/relevant certificates in support of claims made in the on-line application as and when demanded by the Commission.

Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview along with a set of self certified documents.

- 10. Any online Detailed Application Form received without scanned copies of all or some of the enclosures will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the Application Form is properly filled in through online
- 11. In all communications with the Commission regarding this application, the candidate should mention the name of the Examination, his Full Name, Roll Number, Registration I.D. (11 digits) and date of birth.
- 12. Persons in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are required to **upload** an undertaking (as in the **Declaration in the Detailed Application Form**) that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled. (**Please refer Rule 9 of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination Rules, 2022**).

The form of the Undertaking to be uploaded by the candidate:

UNDERTAKING (for Government Employees)
I have intimated my Head of Office / Department in writing on
that I have applied for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service
Examination, 2022.
(Signature)
Name:
Roll No
NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in
temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated
employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an
undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department
that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a
communication is received from their employer by the Commission withholding
permission to the candidates applying for appearing at the examination, their
applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

#### **APPENDIX-I**

(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and	<b>Scheduled Tribes</b>
candidates applying for appointment to posts under the Government	of India.
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*	son/ daughter* of
of village/town* in District/Division*	
,	

of the State/Union Territory* belongs to the caste/tribe* which is recognised as a Schedule Caste/Schedule Tribe* under:-the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@
the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@
the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@
the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956,
the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of
Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 the State of Mizoram
Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu
(Reorganisation) Act, 1987.]
the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@
the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended
by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 @
the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@
the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@
the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@
the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@
the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@
the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989@
the Constitution (SC) Order (Amendment), Act, 1990@
the Constitution (ST) Order (Amendment), Act, 1991@
the Constitution (ST) Order (Second Amendment), Act, 1991@
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 @
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment), Act, 2002 @
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment), Act, 2002
the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment), Act, 2002 @
%2. Applicable in the case of Schedule Castes/Scheduled Tribes persons who have
migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes
certificate issued to Shri/Shrimati*
Shrimati/Kumari* of village/town* in District/Division* of the State/Union Territory* who belongs to the
caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the State/Union
Territory* of issued by the
Dated
%3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily
reside(s) in village/town* of District/Division* of the
State/Union Territory* of
Signature
**Designation
(With Seal of Office)
State/Union Territory*
Place:
Date:
*Please delete the words which are not applicable.
@Please quote specific Presidential order.
%Delete the paragraph which is not applicable.
<b>NOTE:</b> The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section
20 of the Representation of the People Act, 1950.
**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC
Certificates.
(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary

Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra

Assistant Commissioner.
†(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
  - (iii) Revenue Officers not below the rank of tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
  - (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)
- (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10<sup>th</sup> September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.186 dated the 13<sup>th</sup> September, 1993.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19.10.94 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20.10.1994.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24.5.95 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.88 dated 25.5.1995.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9<sup>th</sup> March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.60 dated 11th March, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6<sup>th</sup> December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated 11<sup>th</sup> December, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11<sup>th</sup> December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated 12<sup>th</sup> December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3<sup>rd</sup> December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.239 dated 17<sup>th</sup> December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the  $27^{\rm th}$  October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.241 dated the  $27^{\rm th}$  October, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6<sup>th</sup> December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.270 dated the 6<sup>th</sup> December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated the 4<sup>th</sup> April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.71 dated the 4<sup>th</sup> April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the  $21^{\rm st}$  September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated the  $21^{\rm st}$  September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2000-BCC dated the  $6^{th}$  September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.246 dated the  $6^{th}$  September. 2001.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/1/2001-BCC dated the  $19^{\rm th}$  June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.151 dated the  $20^{\rm th}$  June, 2003.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/4/2002-BCC dated the 13<sup>th</sup> January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13<sup>th</sup> January, 2004.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2004-BCC dated the 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.10 dated the 16th January, 2006.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2004-BCC dated the 12<sup>th</sup> March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.67 dated the 12<sup>th</sup> March, 2007.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.232 dated the 18th August, 2010.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 11<sup>th</sup> October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12<sup>th</sup> October, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated the 16<sup>th</sup> June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16<sup>th</sup> June, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/13/2010-BC-II dated the 08<sup>th</sup> December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.257 dated the 08<sup>th</sup> December, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/05/2011-BC-II dated the 17<sup>th</sup> February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17<sup>th</sup> February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14<sup>th</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14<sup>th</sup> January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27th May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27th May, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14<sup>th</sup> July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15<sup>th</sup> July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09<sup>th</sup> September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09<sup>th</sup> September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25<sup>th</sup> May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26<sup>th</sup> May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the  $30^{th}$  June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the  $30^{th}$  June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11<sup>th</sup> August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11<sup>th</sup> August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06<sup>th</sup> December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07<sup>th</sup> December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the  $22^{nd}$  December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the  $22^{nd}$  December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the  $18^{\rm th}$  January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the  $19^{\rm th}$  January, 2017.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/7/2017-BC-II dated the 28th July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 31st July, 2017.

Shri/Shrimati/Kumari* .		and/or* 1	nis/her* family	y ordinarily
reside(s) in village/town*	of	District/ D:	ivision* of the S	State/Union
Territory* of	. This is also to c	certify that he/she*	does not bel	ong to the
persons/sections* (Creamy Layer)	mentioned in column	n 3 of the Schedule t	to the Governm	ent of India,
Department of Personnel & T	raining O.M. No.36	5012/22/93-Estt(SC'	T) dated 8.9.	1993, O.M.
No.36033/3/2004-Estt.(Res.) date	ed 9th March, 2004	and O.M. No.36033	3/3/2004-Estt.	(Res.) dated
14th October, 2008 and O.M. No.36	6033/1/2013-Estt.(Re	es.) dated 27th May,	2013.	

14th October, 2008 and O.M. No.36033/1/2013-Estt.(Res.)	) dated 27th May, 2013.
	Signature
	**Designation
	(With Seal of Office) State/Union Territory*
Place:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Date:	

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
<u>UNDERTAKING</u>
I
Signature
Name of the Candidate
Roll No
*Please delete the words which are not applicable.  @Strike out whichever is not applicable.
<b>NOTE:</b> The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the
Representation of the People Act, 1950.
**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those
empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.
Note 1: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste
(including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in
the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation
in the caste name will not be accepted.  Note 2: The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the
State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one state (or
part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been
issued to him/her based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally
belongs.
<b>Note 3:</b> No change in the community status already indicated by a candidate in his/her
application form for this examination will be allowed by the Commission except in the circumstances
mentioned in the Rule 20 of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination
Rules, 2022.
<u>APPENDIX-II</u>
THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATE WHO GOT
DISABLED WHILE IN DEFENCE SERVICE IS :-
Certified that No Rank of Unit was
disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign
country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.
Signature
Designation
Date
*Strike out whichever is not applicable.
<u>APPENDIX-III</u>
(A) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR RELEASED/RETIRED PERSONNEL.
It is certified that No Rank Name whose
date of birth is has rendered service from to in Army/
Navy/Air Force and he fulfils the following condition : –
(a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of
assignment other- wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct
or inefficiency.
(b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on
invalidment on
Station:
Date :
Signature and Designation of the

## (B) FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL

	or serving personne certify that, according			
				g in the Army/Navy/Air
Force from _	and is d	ue to complete the	specified term	of his engagement with
the Armed Fo	rces on the date	·	_	
Place:				
Date :	•••••			
			Signature	of Commanding Officer Office Seal
		IG TO BE GIVEN BY	Y THE CANDIDA	TE:
application re the satisfaction from the Arm	elates, my appointment on of the appointing a led Forces and that I Ex-servicemen (Re-em	nt will be subject to authority that I hav am entitled to the	o my producing of the been duly release the benefits admiss	amination to which this documentary evidence to ased/ retired/discharged sible to ex-servicemen in d Posts) Rules, 1979, as
Diama				Signature of candidate
Place:				
ALREADY C ASSIGNMENT	COMPLETED THEIR	INITIAL ASSIG	NMENT AND	
				whose date of
2. He has all	is serving in the ready completed his is gnment till	nitial assignment of		and is on
			ov-ment and he	will be released on three
months notice Station :	e on selection from the			
Date:			Nan	ne and Designation of the
				Competent Authority SEAL
	s who are competent to			
	e of Commissioned Of			
	- Military Secretary Br			
	- Directorate of Person			.:
	rce – Directorate of Pe e of JCO/ORs and equ			11.
	- By various Regional		and An Porce.	
	- BABS, Mumbai.	necora omeco.		
	rce – Air Force Record	s NERW, New Delhi		
		APPENDIX-IV		
		FORM- IV	_	
Applio	cation for Obtaining	Certificate of Disab	ility by Persons	with Disabilities
(1) Name	: (Surname)	(First Name)	(Middle	
(2) Father	's Name :	(Mother's	Name:	: Name)
(3) Date of	's Name :/ f Birth :/	Wollier's	ivanic.	<del></del>
(o) Date of	(Date)	(Month)	(Year)	
(4) Age at	the time of applicati	ion:	vears	
	ale/Female/Transge			
(6) Addres				
` '	rmanent address	(b) Current Add	ress (i.e. for con	nmunication)
(-) D : 1				
	since when residing a			
	tional Status (please	tick as applicable)		
(i) (ii				
,	i) Diploma			
(11	, 1			

	(iv) Higher Secondary (v) High School (vi) Middle	
	(vii) Primary (viii) Non-literate	
(8) Occ	cupation	
` '	* * *	(ii)
	Nature of disability:	
	Period since when disabled: From Birth//since y (i) Did you ever apply for issue of a certificate of disabled:	
(13)	yes/no	isability in the past
	(ii) If yes, details:	
(1.4)	(a) Authority to whom and district in which a (b) Result of application	
	Have you ever been issued a certificate of disabilienclose a true copy.	ty in the past? If yes, please
<b>Declaratio</b> knowledge further st	cone is true copy.  cone: I hereby declare that all particulars stated are and belief, and no material information has tate that if any inaccuracy is detected in the of any benefits derived and other action as per law.	been concealed or misstated. I application, I shall be liable to
	of per her perso autisi	ture or left thumb impression son with disability, or of his/legal guardian in case of ns with intellectual disability, n, cerebral palsy and multiple ilities, etc)
Date:		
Place:	closures:	
1.	Proof of residence (Please tick as applicable).	
	(a) ration card,	
	(b) voter identity card,	
	(c) driving license,	
	(d) bank passbook, (e) PAN card,	
	(f) passport,	
	<ul><li>(g) telephone, electricity, water and any address of the applicant,</li><li>(h) a certificate of residence issued be cantonment board, any gazetted officer, of Master of a Government school,</li></ul>	y a Panchayat, municipality,
mentally il	of an inmate of a residential institution for per ill, and other disability, a certificate of residence for recent passport size photographs	
	(For office use only)	
Date: Place:	_	re of issuing authority Stamp
	Form-V	
	Certificate of Disability	
(In cases	of amputation or complete permanent paralysis of blindness)	of limbs or dwarfism and in case
	(Name and Address of the Medical Authority is	suing the Certificate)

Recent
passport size
attested
photograph
(Showing face
only) of the
person with
disability.

Certificate 1	No.	T.1 C.11	. 1.	Date:		
This	18 to certify that	I have carefully	examined S	Shri/Smt./Kum. rth (DD/MM/VV	·	Age years, nt of House No.
male/female	edgitter of Simi	registration	No.	perma	nent resider	_ Age years, nt of House No.
	Ward/Village/Sti	reet	Po	st Office	D	istrict
	, whose	photograph is a	affixed abov	e, and am satisf	fied that:	
(A) he/she is						
	motor disability rfism					
	dness					
	ase tick as applica	able)				
(B) the diagn	nosis in his/her ca	ase is				
(A) he/s	she has	% (in figure)		percent (in	words) pern	nanent locomotor
	varfism/blindnes				of body) as	per guidelines
	amber and date of applicant has sul				residence:	
Nature of Do		Date of Issue	wing docur	Details of auth		x contificate
Nature of Do	cument	Date of Issue		Details of auti	iority issuing	, cer illicate
Signature/th	numh		(	Signature and S	Seal of Author	rised Signatory of
impression			•			Medical Authority)
person in						,
favour certif						
disability is i	issued					
			Form - VI icate of Dis			
			of multiple of			
	(Name and	Address of the M			e Certificate)	
	(			,	,	
					Rece	nt passport
					size	attested
						ograph
						wing face
						of the
						on with
					disar	bility.
Certificate N	O.				Date:	
This	is to certify that	we have careful	lly examine	d Shri/Smt./Ku		
son/wife/da	ughter of Shri _		Dat	e of Birth (DD/	MM/YY)	Age
years, male/	female	Registration	on No	perr	manent resid	ent of House No
	Ward/Village/S, whose photogra	treet	Post Of	fice	_ District _	State
/A) 1 / 1 ·	, whose photogra	ph is affixed abo	ve, and am	satisfied that:		
	a case of Multipl					
	raluated as per g r the disabilities					
specifica) for below:	t the disabilities	ticked below, ar	id arc silov	vii against tiic i	cicvant disa	Jinty III the table
	Disability	Affecte	ed part D	agnosis	Permanent	physica
		of body	y		impairment	
					disability (i	n %)
1.	Locomotor disabi	ility @				_
	Muscular Dystro					
	Leprosy cured	<u>,                                     </u>				-
4.	Dwarfism					
5.	Cerebral Palsy					
	Acid attack Victir	n				
	Low vision	#				
	Blindness	#				
	Deaf	£				
	Hard of Hearing	£				
	Speech and La disability	iiguage				
					Į	
	Intellectual Disal	oility	1			
	Intellectual Disab Specific Le	oility earning				

14.	Autism Spects	rum					
	Disorder						
15.	Mental illness						
	Chronic Neurolog Conditions	gical					
17.	Multiple sclerosis						
18.	Parkinson's disease						
19.	Haemophilia						
20.	Thalassemia						
21.	Sickle Cell disease						
In words:2. This cond 3. Reassessr (i) (ii)	ition is progressive/nent of disability is: not necessary, or is recommended/aft shall be valid till (DD) e.g. Left/right/t e.g. Single eye	er years (MM) (YY) ooth arms/legs	to improve/no	t likely to im		certific	cate
£	e.g. Left/Right/t						
		ne following document	as proof of res				
Nature of do	cument	Date of issue		Details of certificate	authority	issu	aing
<u> </u>	. 1 1 0.1	7. 1. 1					
5. Sign	ature and seal of the	Medical Authority.					
Name and Se	eal of Member	Name and Seal of M	ember	Name and Chairperson	l Seal	of	the
Signature/th impression of in whose fav certificate of issued.	of the person our disability is	<b>Form – V</b> Certificate of D other than those ment lress of the Medical Av	isability ioned in Forms		ate)		
	·		-		ent pass	sport ested	

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

						(Showing face only) of the person with disability	
C	ertificate l	No.	Date:				
Tl	his is to c	ertify that I have carefully e	xamined Sl	hri/Sm	ıt/Kum		
		aughter of Shri					
		e/female Registration					
W		ge/Street					
_		, whose photograph	is affixed	above,	and am satisf	fied that he/she is a case	e o
						physical impairment/disab	
		valuated as per guidelines (				f the guidelines to be specif	fied
aı		vn against the relevant disa	bility in the	table	below:-		
	S. No	Disability	Affected	part	Diagnosis	Permanent physic	cal
			of body			impairment/mental	
						disability (in %)	
	1.	Locomotor disability	<u>@</u>				
	2.	Muscular Dystrophy					
	3.	Leprosy cured					
	4.	Cerebral Palsy			·		
	5.	Acid attack Victim					
	6.	Low vision	#			·	

	7.	Deaf		€			
	8.	Hard of Hear		€			
	9.	Speech and	l Language				
		disability					
-	10.	Intellectual D					
	11.	Specific Disability	Learning				
	12.	Autism	Spectrum				
		Disorder	1				
	13.	Mental illnes	s				
	14.	Chronic	Neurological				
		Conditions					
	15.	Multiple scle					
	16.	Parkinson's o	disease				
_	17.						
L	18.	Thalassemia					
(D1	19.	Sickle Cell di					
				are not applica		/ 1:11	
				non-progressive/	likely to impro	ove/not likely to improve.	
	not nece	sment of disab	iiity is:				
(1) (ii)	is recon	ssary, or amended/after	· vear	•9	months and	therefore this certificate shall be	
		D/MM/YY)		S	monuis, and	therefore this certificate shall be	
		/Right/both a					
		le eye/both ey					
		Right/both ea					
4.	The appl	icant has subi	mitted the foll	lowing document	as proof of re		
Na	iture of d	ocument	Dat	e of issue		Details of authority issuing	
						certificate	
					1 . 10.		
Sig	nature/t	humb		(Au	thorised Signa	tory of notified Medical Authority)	
	oression					(Name and Seal)	
	son in					Countersigned	
-	our certi					Countersigned {Countersignature and seal of the	
	ability is					Officer/Medical Superintendent/	
	3					Government Hospital, in case the	
				Ce		ued by a medical authority who is	
					not	a Government servant (with seal)}	
	_						
						is not a Government servant, it	
sn	an be var	ia oniy ii coun	itersigned by	the Chief Medica	ii Officer of the	District	
				FORM - V			
		[Intima	ation of reject	ion of Applicatio	n for Certificat	te of Disability]	
	No Dated :						
То	To,						
		me and addre		nt			
~	for Certificate of Disability)						
Sub: Rejection of Application for Certificate of Disability							
51	Sir/ Madam,						
Please refer to your application dated for issue of a Certificate of Disability for the following disability:							
$\frac{-}{2}$ .	D11-	rsiiant to the	ahove applic	ation vou have	heen evamin	ed by the undersigned / Medical	
	2. Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/ Medical Authority on, and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible						
	to issue a Certificate of Disability in your favour:						
	(i)						
(ii							
(ii							
3.		case you ar	e aggrieved	by the rejection	on of your a	application, you may represent	
to_		, reque	esting for revi	ew of this decision	n.		

Yours faithfully, (Authorised Signatory of the notified Medical Authority) (Name and Seal)

## APPENDIX-V

### FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EWS CANDIDATES

Government of..... (Name & Address of the authority issuing the certificate)

		CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
Certificate No		LLY WEAKER SECTIONS  Date:
	VALID FOR T	HE YEAR 2022-23
of	permanent resident of District	son/daughter/wife
		Signature with seal of Office Name
Recent Passport Size attested photograph of		Designation
the applicant		

\*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

\*\*\*Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

<sup>\*\*</sup>Note 2: The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years